242

**बिहार सरकार,**
**अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग।**
सं0 3/आ0वि0(विविध)–02–14/11 830

प्रेषक,
निदेशक।

सेवा में,
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक– 7.5.14

**विषयः– विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में नई व्यवस्था के तहत विभिन्न एजेन्सियों/संस्थाओं द्वारा भोजन आपूर्ति एवं केटरिंग के विरूद्ध भुगतान करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक–73, दिनांक–15.01.2014 द्वारा निम्नांकित एजेन्सियों/संस्थाओं को विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में निर्धारित मीनू एवं दर पर भोजन आपूर्ति/केटरिंग हेतु निदेश दिया गया हैः–

1. मे0 आस्था इन्टरप्राइजेज, हाजीपुर।
2. मे0 सत्यभामा समाज कल्याण संस्थान, बनमनखी, पूर्णियाँ।
3. मे0 ओम सर्वो उन्नयन संस्थान, मुजफ्फपुर।
4. मे0 सद्भावना विकास मंडल, सारण।
5. मे0 विजया इन्टरप्राइजेज, पटना।
6. मे0 कर्त्तव्य सेवा संघ, सीतामढ़ी।
7. सर्वांगीण विकास समिति, शेखपुरा।
8. मे0 राजू केन्टीन, पटना।
9. मे0 सृष्टि इन्टरनेशनल, पटना।
10. मे0 संजय केन्टीन हाउस, नालंदा।

2– उपरोक्त संस्थाओं/एजेन्सियों द्वारा कुछ आवासीय विद्यालयों में भोजन आपूर्ति/केटरिंग का कार्य प्रारंभ किया गया है। उन संस्थाओं एजेन्सियों द्वारा भोजन आपूर्ति मीनु के अनुसार करने के विरूद्ध प्रतिदिन की छात्रों की उपस्थिति तथा मेस इन्डेट के आधार पर प्रत्येक माह भुगतान नियमानुसार किया जाना है।

3– भोजन आपूर्ति/केटरिंग के विरूद्ध समर्पित विपत्रों के भुगतान की प्रक्रिया पूर्व की भांति संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में उपलब्ध निधि से किया जायगा। आपूर्तिकर्त्ता द्वारा समर्पित वैसे विपत्र जिसका भुगतान मुख्यालय से नहीं हो सका है, उसके विरूद्ध भुगतान संबंधित जिला से हीं किया जायगा। साथ ही उराके बाद समय–समय पर समर्पित विपत्रों के विरूद्ध भुगतान भी जिला स्तर से ही किया जायेगा।

जायेगा।

संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा विपत्रों की जॉच कर विपत्र समर्पित करने के 15 दिनों के अन्दर भुगतान करना सुनिश्चित करेगें। किसी भी परिस्थिति में इस अवधि के अन्दर भुगतान करना संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी का दायित्व होगा। भुगतान ससमय नहीं किये जाने पर सारी जबावदेही जिला कल्याण पदाधिकारी की होगी। जिला कल्याण पदाधिकारी भुगतान के तुरंत बाद संबंधित उपनिदेशक की सूचना देगे।

इस प्रक्रिया में संबंधित प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा की एक दिन पूर्व वे प्रत्येक दिन के भोजन हेतु छात्रावास में उपस्थित छात्र/छात्राओं की वास्तविक उपस्थिति के साथ इंडेट आपूर्तिकर्त्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

उपनिदेशक कल्याण का यह दायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करायेगे की उक्त अवधि में भुगतान हो जाये। वे इसकी सूचना प्रत्येक माह की 25 तारीख की ई-मेल से प्रतिवेदन निदेशक को भेजेगे।

आदेश की अवहेलना करने वाले जिला कल्याण पदाधिकारी/प्रधानाध्यापक के विरूद्ध कार्रवाई हेतु उप निदेशक कल्याण निदेशक को अनुशंसा भेजेगे।

5— जिन आवासीय विद्यालयों में उपरोक्त संस्थाओं/एजेन्सियों द्वारा भोजन आपूर्ति/केटरिंग का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है अथवा कार्य प्रारंभ कर किसी कारण से भोजन आपूर्ति का कार्य छोड़ दिया गया है, उन आवासीय विद्यालयों में स्थानीय व्यवस्था के आधार पर निर्धारित मीनु के अनुसार हीं भोजन आपूर्ति हेतु उप निदेशक दिशा निर्देश में कार्रवाई किया जायेगा। तत् संबंधी सूचना उप निदेशक द्वारा निदेशक को दिया जायेगा।

6— वैसे एजेन्सी/संस्थान जिनके द्वारा आवासीय विद्यालयों में अबतक भोजन आपूर्ति का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, उनके संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा एक सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

7— संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी का दायित्व होगा की किसी भी परिस्थिति में विद्यालय एवं छात्रावास में छात्र/छात्राओं की वास्तविक उपस्थिति 90 प्रतिशत से कम न हो।

उपरोक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, अन्यथा अनुपालन नहीं होने की स्थिति में अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है।

विश्वासभाजन

7/8.

निदेशक

534 Andra sec/s Ram shankar

ज्ञापांक—3/आ0वि0(विविध)--02—14/11 830 पटना—15, दिनांक— 7.5.14

प्रतिलिपि— मे0 आस्था इन्टरप्राइजेज, हाजीपुर वैशाली/मे0 सत्यभामा समाज कल्याण संस्थान, बनमनखी, पूर्णियॉं/मे0 ओम सर्वो उन्नयन संस्थान, आदर्श कोलोनी, शेरपुर, मुजफ्फपुर/मे0 सद्भावना विकास मंडल, ग्राम—हसरपुरा, पो0—मढौरा, जिला—छपरा, सारण/ मे0 कर्त्तव्य सेवा संघ, ग्राम+पो0—आवापुर, भाया, बाजपट्टी जिला—सीतामढी/मे0 सर्वांगीण विकास समिति, समिति, 301—भगवती वैष्णव एपार्टमेन्ट, बेस्ट बोरिंग केनाल रोड, पटना/मे0 राजू केन्टीन, करबिगहिया, पटना/मे0 सृष्टि इन्टरनेशनल, सुर्यवंशम, रोड नं0—04/H आदर्श कोलोनी, नया चक, न्यु बाईपास, पटना—16/मे0 संजय केन्टीन हाउस, ग्राम+पो0—मुनारी, हरनौत, जिला—नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2— उनसे अनुरोध है कि भोजन आपूर्ति करने के विरूद्ध भुगतान हेतु विपत्रों को संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें, जहॉं नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

निदेशक।

ज्ञापांक—3/आ0वि0(विविध)—02—14/11 830 पटना—15, दिनांक— 7.5.14

प्रतिलिपि—सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप निदेशक कल्याण/सभी प्रधानाध्यापक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक।

I.T. Manager